**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**

**24.07.2024 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 382 का उत्तर**

**रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों का संस्थापन**

**382. श्री सी. एन. अन्नादुरई:**
**श्री ए. राजा:**
**श्री नवसकनी के.;**
**श्री जी. सेल्वम:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या सरकार द्वारा तमिलनाडु में यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में कोई प्रगति हुई है;**
**(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों की संख्या का विभाग वार ब्यौरा क्या है जहां सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं;**
**(ग) वर्तमान में तमिलनाडु में विभिन्न स्टेशनों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों का ब्यौरा क्या है और संख्या कितनी है;**
**(घ) तमिलनाडु में शेष स्टेशनों को सीसीटीवी स्थापना परियोजना के अंतर्गत कब तक शामिल किए जाने की संभावना है;**
**(ङ) उक्त परियोजना हेतु आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है; और**
**(च) यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए, विशेषकर संवेदनशील और चिह्नित मार्गों/खंडों पर, क्या उपाय किए जा रहे हैं?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।**

**********

**रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के संस्थापन के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में श्री सी. एन. अन्नादुरई, श्री ए. राजा, श्री नवसकनी के. और श्री जी. सेल्वम के अतारांकित प्रश्न सं. 382 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।**

**(क) से (च): रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना सतत प्रक्रिया है। तमिलनाडु में स्थित रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के कार्य को स्वीकृत कर दिया गया है। वर्तमान में, तमिलनाडु में स्थित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 2171 सीसीटीवी कैमरे मुहैया कराए गए हैं।**

**इसके अतिरिक्त, यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:**

i. **भेद्य और चिह्नित मार्गों/खंडों पर विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा रेलगाड़ियों के प्रतिदिन किए जा रहे मार्गरक्षण के अतिरिक्त रेल सुरक्षा बल द्वारा भी रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।**
ii. **तत्काल सहायता के लिए यात्री रेल मदद पोर्टल पर सीधे या हेल्पलाइन नंबर 139 [आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) नंबर 112 के साथ एकीकृत] के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।**
iii. **यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रेलवे ट्विटर, फेसबुक, कू आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है।**
iv. **यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई सवारी डिब्बों और रेलवे स्टेशनों में उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है।**
v. **चोरी, झपटमारी, जहरखुरानी आदि के प्रति सावधानी बरतने के लिए यात्रियों को जागरूक करने हेतु जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जाती हैं।**
vi. **यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान आवश्यक एहतियाती उपाय करने के संबंध में जागरूक करने हेतु रेल परिसर और रेलगाड़ी में पोस्टर, बैनर, पर्चे के वितरण, रेल डिस्प्ले नेटवर्क (आरडीएन) पर वीडियो आदि के माध्यम से नियमित आधार पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।**
vii. **'मेरी सहेली' पहल के तहत, लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की उनकी पूरी यात्रा अर्थात प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक उनकी संरक्षा और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।**
viii. **क्षेत्रीय रेलों को यथासंभव सीमा तक गाड़ी मार्गरक्षी दलों में समुचित संयुक्त संख्या में पुरुष एवं महिला रेसुब/रेसुविब कार्मिकों की तैनाती करने के अनुदेश दिए गए हैं।**

ix. **रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) गठित की गई हैं।**

*****